<u>न्यायालय — सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर</u> जिला —बालाघाट, (म.प्र.)

<u>्रोआपराधिक प्रकरण क.850 / 2014</u> <u>संस्थित दिनांक—17.09.2014</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र—बैहर जिला—बालाघाट (म०प्र०)

– – – – <u>अभियोजन</u>

/ / <u>विरूद</u> / /

- (1) रामबाबू पिता मोहपतसिंह उम्र 23 वर्ष, निवासी वार्ड नं. 2 रौंदाटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट
- (2) मुकेश कुमार पिता मारोतीराव उम्र 38 वर्ष, निवासी कम्पाउंडरटोला, थाना बैहर, जिला बालाघाट
- (3) मोहपत पिता मंगलसिंह उम्र 48 वर्ष, निवासी रौंदाटोला, थाना बैहर जिला बालाघाट — — — — <u>आरोपीगण</u>

// <u>निर्णय</u> //

(<u>आज दिनांक—17 / 09 / 2014 को घोषित</u>)

निष्कर्ष

अभियुक्तगण की स्वैच्छया एवं स्पष्ट अपराध स्वीकारोक्ति के आधार पर अभियुक्त रामबाबू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 में एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177 एवं शेष अभियुक्तगण ने मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 50(क)/177 अथवा 50(ख)/177 के अपराध के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों में अभियुक्तगण को परीवीक्षा प्रावधान का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता हैं।

दण्डादेष या अन्य अतिम आदेष

दंड के प्रष्न पर विचार किया गया। अपराध की प्रकृति, प्रकरण की परिस्थितियों, अभियुक्त रामबाबू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—279 के अंतर्गत 1,000/—रूपये एवं मोटर यान अधिनियम की धारा—3/181, 146/196, 130(3)/177 के अंतर्गत कमशः 500/—, 1,000/—, 100/—रू. के अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। आरोपी मुकेश एवं मोहपत को मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, 146/196, 50(a)/177 अथवा 50(a)/177 के अपराध के अंतर्गत प्रत्येक को कमशः 500/—, 1,000/—, 100/— अर्थदण्ड से दिण्डत किया जाता है। प्रत्येक आरोपी को प्रत्येक अपराध के अर्थदण्ड के व्यतिकम में 7—7 दिन का सादा कारावास भुगताया जावे।

प्रकरण में जप्तशुदा वाहन मोटरसाइकिल हीरो होण्डा क्रमांक—एम.पी.50 / बी. 2117 मय दस्तावेज के सुपुर्ददार मुकेश वल्द मारोतीराव निवासी बीजाटोला जिला बालाघाट को प्रदान किया गया है। अतएव जो उसके पक्ष मे निरस्त समझा जावे।

ALINATA PAROTA PAROTA STATE OF STATE OF

बैहर दिनांक—17 / 09 / 2014 (सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी बैहर, जिला—बालाघाट